बिहार विधान-सभा

की

अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन-जाति

कल्याण समिति

१९८०-८१

का

१२वां प्रतिवेदन

आदिवासी राजकीय आवासीय उच्च विद्यालय बनमंखी, पूर्णियां के सुविधा एवं समस्यायें

बिहार विधान-सभा सचिवालय

(कल्याण समिति-शाखा)

पटना, १९८२

(सदन में उपस्थापित करने की तिथि.......................)

अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय बिहार पटना
द्वारा सचिवालय शाखा मुद्रणालय में मुद्रित
१९८२

विषय-सूची

		पृष्ठ
प्रस्तावना	..	क
समिति का गठन	..	ख—ग
विषय का उपस्थापन	..	१
प्रतिवेदन	..	२—६
सिफारिशों का सारांश	..	७-६

१५८/१८ एल० ए०

प्रस्तावना

मैं, सभापति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति, बिहार विधान-सभा की हैसियत से समिति का बारहवां प्रतिवेदन १९८०-८१ जो राजकीय आवासीय उच्च विद्यालय, बनमंखी, पूर्णियां के प्राप्त सुविधा एवं समस्याओं से संबंधित है, उपस्थापित करता हूं। पूर्णियां जिला के स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में उप-समिति (२) द्वारा उक्त विद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा कल्याण विभाग के पदाधिकारियों तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं छात्रों से समिति ने विचार-विमर्श किया। स्थल अध्ययन के क्रम में प्राप्त तथ्यों के आधार पर उप-समिति (२) द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया। उप-समिति (२) की दिनांक २० मार्च, १९८२ की बैठक में यह प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति ने उक्त प्रतिवेदन का अवलोकन कर दिनांक २२ मार्च, १९८२ की बैठक में अनुमोदित किया।

आवासीय विद्यालय की सुविधा एवं समस्याओं के संबंध में कल्याण विभाग के अधिकारियों ने समिति के साथ विचार-विमर्श कर जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता की है तथा बिहार विधान-सभा सचिवालय की कल्याण समिति के संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने समिति को प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता पहुंचायी है, समिति इसके लिए उन्हें धन्यवाद देती है।

(ह०) सुशील कुमार बागे,
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति
कल्याण समिति।

पटना :
दिनांक ····मार्च, १९८२ ई०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की मुख्य समिति का गठन ।

सभापति

१ । श्री एस० के० बागे, स० वि० स० ।

सदस्यगण

२ । श्री वनवारी राम, स० वि० स० ।
३ । श्री मुनी सिंह, स० वि० स० ।
४ । श्री विश्वनाथ ऋषि, स० वि० स० ।
५ । श्री जौन हेम्ब्रम, स० वि० स० ।
६ । श्री जवाहर प्रसाद सिंह, स० वि० स० ।
७ । श्री अवध बिहारी सिंह, स० वि० स० ।
८ । श्री महेश राम, स० वि० स० ।
९ । श्री संजीव प्रसाद टौनी, स० वि० स० ।
१० । श्री विजय नारायण भारती, स० वि० स० ।
११ । श्री नवल किशोर भारती, स० वि० स० ।
१२ । श्रीमती मुक्तिदानी सुम्ब्रूई, स० वि० स०, सदस्या ।
१३ । श्री टीकाराम मांझी, स० वि० स० ।
१४ । श्री जगदीश चौधरी, स० वि० स० ।
१५ । श्री रामलखन राम, 'रमण' स० वि० स० ।
१६ । श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स० ।
१७ । श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स० वि० स० ।
१८ । श्री सूर्यदेव सिंह, स० वि० स० ।
१९ । श्री हारू रजवार, स० वि० स० ।
२० । श्री करिया मुंडा, स० वि० स० ।
२१ । श्री दुती पाहन, स० वि० प० ।
२२ । श्री सामुचरण तुबिद, स० वि० प० ।
२३ । श्री बुद्धराम भगत, स० वि० प० ।
२४ । श्री अम्बिका प्रसाद, स० वि० प० ।
२५ । श्री इन्द्र कुमार, स० वि० प० ।
२६ । श्री परमेश्वर, स० वि० प० ।
२७ । सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, स० वि० प०, सदस्या ।
२८ । रिक्त ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति की
उप-समिति (२) के सदस्यगण (१९८१-८२)

सदस्य का नाम

१. श्री सामुचरण तुबिद, स० वि० प०, संयोजक

सदस्यगण

२. श्री विजय नारायण भारती, स० वि० स०
३. सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, स० वि० प०
४. श्री राम लषण राम 'रमण', स० वि० स०
५. श्री मुन्नी सिंह, स० वि० स०
६. श्री अम्बिका प्रसाद, स० वि० प०
७. श्री जगदीश चौधरी, स० वि० स०
८. श्री बनवारी राम, स० वि० स०

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति की
उप-समिति (२) के सदस्यगण (१९८०-८१)

सदस्य का नाम

१. श्री सामुचरण तुबिद, स० वि० प० संयोजक

सदस्यगण

२. श्री रामदेव सिंह, स० वि० स०
३. सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, स० वि० प०
४. श्री संजीव प्रसाद टोनी, स० वि० स०
५. श्री राम लषण राम, "रमण" स० वि० स०
६. श्री परमेश्वर, स० वि० प०
७. श्री पीताम्बर पासवान, स० वि० स०
८. श्री बनवारी राम, स० वि० स०

सभ-सचिवालय

१. श्री राम नरेश ठाकुर, सचिव
२. श्री अर्जुन प्रसाद, अवर सचिव
३. श्री शिव प्रसाद शाह, अवर सचिव
४. श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी
५. श्री इन्दिरा रमण उपाध्याय, प्रभारी सहायक
६. श्री श्याम देव चौधरी, प्रभारी सहायक

खण्ड 1

विषय का उपस्थापन

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों धारा 46 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि राज्य सरकार विशेश सावधानी के साथ समाज के कमजोर वर्ग विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान करेंगी । इसी के आधार पर कल्याण विभाग द्वारा राज्य के हरिजन, आदिवासी एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे शैक्षिक योजनाएं आर्थिक विकास की योजनाएं, स्वास्थ्य, गृह-निर्माण एवं अन्य योजनायें ।

शैक्षिक योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समुचित विकास की कार्रवाई की जा रही है। शैक्षिक योजनाओं में मुख्यत: महाविद्यालय, विद्यालय, प्रावैधिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति देना, शिक्षा परीक्षा शुल्क की छूट, पुस्तक अनुदान, आवासीय विद्यालय छात्रावास, आदि योजनायें हैं।

आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओं को पढ़ने की व्यवस्था तथा उक्त विद्यालयों में सरकारी खर्च पर भोजन, आवास, वस्त्र, पठन-पाठन सामग्री, आदि की सुविधा उपलब्ध हैं । राज्य में ७८ आवासीय विद्यालय कार्यरत है, जिस में ३८ अनुसूचित जाति के लिए और ४० अनुसूचित जन-जाति के लिए है। इन विद्यालयों में कुल १०,८१४ छात्र-छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था हैं । कहीं-कहीं पर आवासीय विद्यालय का सरकारी भवन है और और कहीं-कहीं पर किराये के मकान पर चलाया जा रहा है ।

बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति (२) द्वारा पूर्णियां जिला के स्थल यात्रा के क्रम राजकीय आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय, बनमंखी (पूर्णियां) का निरीक्षण किया गया तथा सुविधा एवं समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया है ।

खण्ड २

प्रतिवेदन

राजकीय आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय वनमंखी, पूर्णियां की स्थापना १३ जून, १९६५ को हुई। पहले विद्यालय मध्य विद्यालय के रूप में संचालित था। १९७५ ई० में इसे उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया।

विद्यालय भवन—विद्यालय का निजी भवन नहीं है वर्त्तमान समय में विद्यालय भाड़े के भवन में संचालित है, जिसके दो खण्ड हैं। प्रथम खण्ड हरिजन आदिवासी कल्याण समिति का भवन है, जिसके लिये सरकार द्वारा १२५ रुपया भाड़ा दिया जाता है। दूसरा खण्ड श्री बलदेव प्रसाद यादव के मकान में स्थित है, जिसके लिये सरकार प्रतिमाह ३५० रुपया भाड़ा देती है इसके अतिरिक्त प्रखण्ड स्थित टी०सी०पी० सेन्टर का विभागीय भवन है जिसके लिये भाड़ा नहीं देना पड़ता है। छात्र संख्या एवं पठन-पाठन को ध्यान में रखते हुए स्थान का पूर्णतः अभाव है।

(२) शिक्षक श्री रघुनाथ प्रसाद राय, इस विद्यालय में दिनांक २३ जुलाई, १९७९ से प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत है इसके अतिरिक्त निम्नांकित शिक्षक विद्यालय में कार्यरत हैं :—

क्र०सं०	नाम एवं पद नाम	इस विद्यालय में योगदान की तिथि।	सेवा में योगदान की तिथि।
१।	श्री महेन्द्र प्रसाद, स०शि	२०-४-१९७९	११-१-१९६८
२।	श्री धीरजानन्द मिश्र, स०शि०	१९-७-१९७९	१५-२-१९६२
३।	श्री सच्चिदानन्द राय, स०शि०	१६-७-१९८०	१९-९-१९७७
	मध्य विद्यालय के शिक्षकवृन्द		
१।	श्री केदारनाथ चौधरी, प्र०अ०	२८-८-१९७९	१-१०-१९६२
२।	श्री रामनारायण महतो, स०शि०	७-१२-१९७७	१२-११-१९६२
३।	श्री श्रीकान्त चौधरी, स०शि०	१७-१०-१९७५	२८-२-१९६२
४।	श्री ऐतवारी सोरेन	२०-४-१९७७	१-२-१९५४
५।	श्री यमुना प्रसाद	२७-८-१९७९	२-८-१९७६
६।	श्री अच्यूता नन्द राय	५-१२-१९७९	५-१२-१९७९
७।	श्री शोभाकान्त झा	२०-८-१९८०	२६-२-१९६५
८।	श्री जर्नादन प्रसाद	१६-१-१९८१	१०-८-१९६५

उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित केवल ४ शिक्षक हैं। अध्यापन एवं प्रगति के लिये शिक्षक रहना आवश्यक है। उच्च विद्यालय के लिए विषयवार शिक्षकों की संख्या समुचित ढंग से बढ़ाई जाय।

(३) चतुर्थवर्गीय कर्मचारी—शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी विभिन्न कार्यों के लिये पदस्थापित है।

उच्च विद्यालय—श्री मोती लाल मंडल कार्य पिउन। श्री बद्रीउरांव—रसोइया-सह-नौकर, श्री जुगल पासवान—कार्यालय पिउन, श्री चन्द्र देव यादव—रात्रि प्रहरी, श्री चुनचुन ठाकुर—रसोइया-सह-सेवक, एवं श्री चुनका भरेरी—रसोइया-सह-सेवक। यद्यपि स्वीकृत पद के अनुसार उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं, परन्तु उच्च विद्यालय के लिये एक ही रसोइया-सह-सेवक का पद पर्याप्त नहीं है। छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उच्च विद्यालय के लिये कम-से-कम दो रसोइयों की पदस्थापना अत्यन्त ही आवश्यक है।

(४) कार्यालय व्यवस्था एवं लिपिक—विद्यालय में लिपिक की पदस्थापना नहीं हुई है। सम्प्रति शिक्षा विभाग में हर उच्च विद्यालय में लिपिक पदस्थापित है। प्रधानाध्यापक का अधिक समय विद्यालय के कार्यालय के कार्यों में ही लगता है। अतः लिपिक की पदस्थापना की आवश्यकता है।

(५) छात्र—छात्रों की वर्गवार संख्या निम्न प्रकार है :—

उच्च विद्यालय	कुल छात्र	आवासीय छात्र	दिवा छात्र
सप्तम् वर्ग	३९	३०	..
अष्टम वर्ग	४२	३९	३
नवम् वर्ग	४२	३९	३
दसम् वर्ग	२८	२५	३
योग	१५१	१४२	९
मध्य विद्यालय			
प्रथम वर्ग	१६	१४	२
द्वितीय वर्ग	१६	१६	..
तृतीय वर्ग	१५	१५	..
चतुर्थ वर्ग	१५	१५	..
पंचम् वर्ग	१५	१४	१
षष्टम् वर्ग	१९	१४	५
योग	९६	८८	८

विद्यालय के सभी आवासीय छात्र आदिवासी हैं, जिनमें अधिकांश संथा[illegible] एवं उरांव हैं। उच्च विद्यालय में छात्रों की स्वीकृत संख्या १६० है एवं मध्य[illegible] विद्यालय की स्वीकृत सं० ८८ है।

(६) पुस्तकालय – विद्यालय के पुस्तकालय में कुल २०० पु[illegible]स्तकें उपलब्ध हैं जो छात्रों के सर्वोन्मुखी बौधिक विकास के लिये अपर्याप्त [illegible] है। पुस्तकालय में पुस्तक एवं पत्र-पत्रिका के लिए राशि के आवंटन में वृद्धि [illegible] करना जरूरी है।

(७) खेल-कूद सम्बन्धी आवश्यक सामग्री—विद्[illegible]लय के छात्रों को शारीरिक व्यायाम कराया जाता है। फुटबॉल, भॉ[illegible]बॉल खेलने का प्रावधान है, परन्तु विद्यालय को अपना क्रीड़ा स्थल नहीं है।

(८) सांस्कृतिक कार्यक्रम – शिक्षकों एवं छात्रों से समिति की जानकारी मिली है कि सप्ताह में एक दिन शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें छात्र संगीत, अन्ताक्षरी, प्रहसन आदि प्रस्तुत करते हैं एवं वाद-विवाद में भाग लेते हैं।

(९) बोर्ड परीक्षा फल—विगत तीन वर्षों की माध्यमिक परीक्षा का परीक्षाफल निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण छात्र	
१९७९	१६	२ द्वितीय श्रेणी	
		१ तृतीय श्रेणी कुल तीन	
१९८०	१८	१ प्रथम श्रेणी	
		११ द्वितीय श्रेणी	इसके अतिरिक्त ६ पूर्ववर्ती -
		४ तृतीय श्रेणी	छात्र उत्तीर्ण हुए हैं।
		१६	

विद्यालय का परीक्षाफल संतोषप्रद हो रहा है फिर भी इसमें प्रगति की आवश्यकता है।

(१०) भोजन की व्यवस्था— आवासीय छात्रों के भोजन के लिय ९०.०० प्रति छात्र प्रतिमाह स्वीकृत राशि है इससे बच्चों के भोजन अल्पाहार की व्यवस्था की

जाती है। [illegible] वर्षों से भोजन में एक शाम दाल-भात सब्जी और दूसरे शाम रोटी दाल सब्जी दी[illegible] जाती है। कभी-कभी गेंहू की अनुपलब्धता के कारण दोनों शाम भात दाल और सब्जी दी जाती है। माह के अंत में पैसे बच जाने पर विशेष भोजन का भी व्यवस्था की जाती है। समिति को जानकारी मिली है कि विशेष भोजन की व्यवस्था [illegible] कभी-कभी बहुत दिनों के बाद की जाती है जो पर्याप्त नहीं है। पदाधिकारी को विशे[illegible] ध्यान देना जरूरी है। भोजन व्यवस्था पर प्रधानाध्यापक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी का विशेष ध्यान देना जरूरी है। विशेष भोजन की व्यवस्था महीने में एक बार अवश्य रखी जाय।

(११) बोडिंग व्यवस्था---तेल साबुन छात्रों के ५.०० प्रति छात्र प्रतिमाह की स्वीकृत राशि है जिससे तेल साबुन एवं किरासन तेल तथा प्रकाश की अन्य व्यवस्था की जाती है। यह राशि अत्यन्त ही नगण्य है। एक लालटेन में १०-१५ लड़के एक साथ बैठकर पढ़ते है। समिति का मंतव्य है कि इस राशि को १० रु० प्रति छात्र दिया जाय।

(१२) पठन-पाठन सामग्री–पठन-पाठन हेतु प्रति छात्र ३० रु० की राशि स्वीकृत है। छात्रों को पुस्तक तथा पठन-पाठन सामग्री की कमी है। इस अल्प राशि से छात्रों हेतु निर्धारित पुस्तकें एवं अन्य पठन-पाठन की सामग्रियों की आपूर्त्ति संभव नहीं हो पाती है। जिससे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य की पूर्त्ति होने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ३० रु० की राशि में सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं हो पाती है। समिति का मंतव्य है कि उक्त राशि को मध्य विद्यालय के लिए ७० रु० तथा उच्च विद्यालय के लिए ८० रु० कम-से-कम किया जाय।

(१३) वस्त्रादि—वस्त्रादि (बिछावन, मच्छरदानी, जूता, मोजा, चादर आदि) मद में १०० रु० प्रति छात्र प्रति वर्ष देने का प्रावधान है। समिति को जानकारी मिली है कि छात्रों को वर्ष १९८१ में कपड़ा एवं जुता नहीं मिला है। दरी १०-१५ दिन पहले छात्रों को दिया गया है किन्तु अभी भी कमी है। समिति की राय है कि कल्याण विभाग को वस्त्र वितरण को समय-समय पर देखना जरूरी है। साथ ही साथ १०० रु० में वस्त्र पूरा नहीं हो सकता है, इस राशि को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना चाहिये।

(१४) बागवानी—विद्यालय में बागवानी नहीं के बराबर है। विद्यालय किराये के मकान में दो स्थानों पर है पर जितनी जमीन है, उसमें बागवानी और

कुछ फलदार पौधे लगाये जा सकते हैं। अतः प्राधानाध्यापक एवं शिक्षक को बागवानी की ओर ध्यान देना जरूरी है।

(१५) छात्र संसद—अन्य विद्यालय में छात्र संसद बनाकर प्रजातांत्रिक ढंग से व्यवस्था की जाती है। किन्तु उक्त विद्यालय मे छात्र संसद नहीं है इसका गठन कराना आवश्यक है।

(१६) विद्यालय उपस्कर—विद्यालय में छात्रों के लिए उपस्कर की कमी है। कार्यालय में भी उपस्कर की कमी देखी गयी। छात्रावास एवं विद्यालय कार्यालय के लिए उपस्कर की व्यवस्था की जाय।

(१७) शौचालय—विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है विद्यालय के मकान मालिक द्वारा या सरकारी व्ववस्था से शौचालय बनवाने की व्यवस्था करना जरूरी है क्योंकि छात्रों को इधर-उधर शौचक्रिया हेतु जाना पड़ता है।

(१८) पेयजल —पेयजल हेतु चापाकल तथा कुंआ है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। समिती की राय में छात्रावास हेतु एक अतिरिक्त चापाकल की व्यवस्था करना जरुरी है।

(१९) प्रबंधकारिणी समिति —इस विद्यालय के लिए प्रबंधकारिणी समिति का गठन अभीतक नहीं हुआ है जिसका शीघ्र करना आवश्यक है।

(२०) अध्यापन कार्य—शिक्षकों की कमी से अध्यापन कार्य में बाधा होती है साथ ही साथ समिति को जानकारी मिली की मध्याहन (टिफीन) बाद पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। अतः प्रधानाध्यापक तथा जिला कल्याण पदाधिकारी को अध्यापन कार्य को सुचारूरुप से चलाने हेतु इस संबंध में अपने स्तर से कारगर कार्रवाई करना आवश्यक है।

(२१) उक्त आवासीय विद्यालय के स्थल अध्ययन के सिलसिले में समिति जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियां, प्रधानाध्यापक छात्र एव जनप्रतिनिधियों से विद्यालय के छात्रावास, भवन, भोजन, उपस्कर आदि के सुविधायों एवं समस्याये पर विचार-विमर्श किया। उक्त आवासीय विद्यालय के सुविधाओं एवं समस्याओं पर समिति ने अपनी सिफारिशें दी है जिसके अनुरुप कार्य करने से विद्यालय में प्रगति होगी तथा आवासीय विद्यालय के उद्देश की पूत्ति उचित ढंग से हो सकेगी।

खण्ड-३

सिफारिशों का साराश

क्रमांक प्रतिवेदन की कंडिका

१. (१) आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय बनमंखी (पूर्णियां) किराये के मकान में चल रहा हैं। आवास की कमी है जिससे छात्रों को पठन-पाठन में असुविधा होती है। अतः निजी भवन बनाने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाय।

२. (२) उच्च विद्यालय मे प्रधानाध्यापक सहित केवल ४ (चार) शिक्षक हैं। अध्यापन एवं प्रगति के लिए शिक्षक का रहना आवश्यक है। उच्च विद्यालय के लिए विषयावार शिक्षकों की संख्या समुचित ढ़ंग से बढ़ाई जाय।

३. (३) छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उच्च विद्यालय में कम से कम दो रसोईयों का पदस्थापना अत्यन्त ही आवश्यक है।

४. (४) प्रधानाध्यापक का अधिक समय विद्यालय के कार्यालय के कार्यों में ही लगता है। अतः लिपिक के पदस्थापन की आवश्यकता है।

५. (६) पुस्तकालय में पुस्तक एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिए राशि का आवंटन कुछ ज्यादा करना जरूरी है।

६. (१०) भोजन की व्यवस्था पर प्रधानाध्यापक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को विशेष ध्यान देना जरूरी हैं। विशेष भोजन की व्यवस्था महीने में एक बार अावश्य रखी जाय।

७. (११) एक लालटेन में १०-१५ लड़के एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। समिति का मंतव्य है कि वोर्डिंग खर्च की राशि १० रुपया प्रति छात्र किया जाय।

८. (१२) ३० रुपये की राशि में सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं हो पाती है, समिति का मंतव्य है कि उक्त राशि को मध्य विद्यालय के लिए ७० रुपया तथा उच्च विद्यालय के लिए ८० रुपया कम से कम किया जाय।

९. (१३) समिति की राय है कि कल्याण विभाग को वस्त्र वितरण के समय देखना जरूरी हैं। साथ ही साथ १०० रुपया में वस्त्र पूरा नहीं हो सकता हैं, इस राशि को बढ़ाने की दिशा मे कदम उठाना चाहिए।

१०· (१४) १४० विद्यालय में बागवानी नहीं के बराबर है अभी विद्यालय में जितनी जमीन है उसमें बागवानी और कुछ फलदार पौधे लगाये जा सकते हैं ।

११· (१५) अन्य विद्यालयों में भी छात्र संसदन बनाकर प्रजातांत्रिक ढंग से व्यवस्था की जाती है उसी तरह इस विद्यालय में भी छात्र संसद का गठन किया जाय ।

१२· (१६) विद्यालय में छात्रों के लिए उपस्कर की कमी है कार्यालय में भी उपस्कर की कमी है छात्रवास एवं कार्यालय के लिए उपस्कर की व्यवस्था की जाय ।

१३· (१७) विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नही है, विद्यालय में मकान मालिक द्वारा या सरकारी व्यवस्था द्वारा शौचालय की व्यवस्था करना जरूरी है ।

१४· (१८) छात्रवास हेतु एक अतिरिक्त चापाकल की व्यवस्था करना जरूरी है ।

१५· (१९) प्रबंधकारिणी समिति का गठन शीघ्र करना आवश्यक है ।

१६· (२०) शिक्षकों के कमी के कारण अध्यापन कार्य में बाधा होती है । साथ ही साथ मध्याह्न (टिफीन) के बाद पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है । अतः प्रधानाध्यापक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से इस संबंध में कारगर कार्रवाई करना आवश्यक है।

बि०स०शा०मु० (एल० सा०) १५८/१८—८००—२२-७-१९८२—पी० के० बनर्जी ।